संख्या- 03/2021/ 18/38-4-21-19(बजट)/2017

प्रेषक,

सुधीन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0 प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक- 18 जनवरी, 2021**

विषयः- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की अनुदान संख्या-83 में प्राप्त केन्द्रांश एवं उसके समतुल्य मैचिंग राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी.ओ.-15/सम्प्रेक्षा/प्र0मं0आ0यो0-ग्रा0/2020-21, दिनांक 12.01.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 में उक्त मद में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण भारत सरकार के पत्र संख्या-**J-12036/01/2020-RH(A/C)-2/A-Uttar Pradesh**, दिनांक-23.12.2020 द्वारा निर्गत केन्द्रांश की धनराशि **रू0 59721.849 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 53443.698 लाख व उसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 35629.132 लाख** कुल रू0 89072.830 लाख की धनराशि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (के.75/रा.25-के.रा.)-42-अन्य व्यय के अन्तर्गत हो रही बचत की धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (के.60/रा.40-के.)-24 वृहत् निर्माण कार्य के अन्तर्गत स्वीकृत करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 में वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र संख्या आर.ई.-268 यू.ओ.-ई-258/दस-2021 दिनांक 18 जनवरी,2021 के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (के.75/रा.25-के.रा.)-42-अन्य व्यय के अन्तर्गत हो रही बचत की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना.ग्रामीण के अन्तर्गत एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 मद में **अवशेष केन्द्रांश रू0 53443.698 लाख व मैचिंग राज्यांश रू0 35629.132 लाख कुल रू0 89072.83 लाख (रूपये आठ अरब नब्बे करोड़ बहत्तर लाख तिरासी हजार मात्र)** की धनराशि की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं-

(1) प्रश्नगत बचत की मद में पुनः धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(2) पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रदान की गयी स्वीकृति की धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में नहीं किया जायेगा तथा धनराशि के आहरण/व्यय के संबंध में अन्य संगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0 प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 का होगा।

(5) आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्य योजना एवं मदों में, योजना हेतु निर्धारित गाईडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।

(7) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 द्वारा संबंधित जनपदों की मांग/आवश्यकता का परीक्षण करते हुए धनराशि आवंटित की जायेगी।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अनुमन्य धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। पूर्व में कराये गये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अग्रतर किश्त/धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(9) योजनान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो तथा आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का होगा। ।

(10)लाभार्थियों को अनुदान जारी करते समय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु लाभार्थी को किसी अन्य योजना से अनुदान प्रदान न किया गया हो।

(11)प्रश्नगत धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 का होगा।

(12) आयुक्त, गाम्य विकास, उ0 प्र0 के स्तर पर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सम्मिलित रूप से टारगेट देखा जाता है तथा अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जनजाति की स्वीकृति जारी करने के उपरान्त बाद में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

(13) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.ई-2-58/x-2021, दिनाक-18.01.2021 में प्राप्त सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,
सुधीन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

संख्या- 03/2021/18(1)/38-4-2021, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, उ0 प्र0 शासन।
(2) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
(3) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद(प्रयागराज)।
(4) महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद(प्रयागराज)।
(5) निदेशक, (आरएच), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
(6) अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक,कोषागार,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(8) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(9) समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) बजट प्रकोष्ठ अनुभाग समाज कल्याण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
(11) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त संसाधन (के0 स0) अनुभाग।
(12) राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
(13) बजट प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास विभाग/ग्राम्य विकास अनुभाग-3
(14) गार्डबुक।

सुधीन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नाम-83--समाज कल्याण (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)

वित्तीय वर्ष 2020-21 **(धनराशि लाख रूपये में)**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा**	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनयोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रयोजित योजनाएं-0102-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (के.75/रा.25-के.रा.)-42-अन्य व्यय	150000.00	150000.00	89072.83	89072.83	60927.17
योग	150000.00	150000.00	89072.83	89072.83	60927.17
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा**	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 03-ग्रामीण आवास 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 01-केन्द्र प्रयोजित योजनाएँ 0102-प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) (के.60/रा.40-के.)- 24 वृहत् निर्माण कार्य	110000.00	199072.83	89072.83	89072.83	199072.83
योग	110000.00	199072.83	89072.83	89072.83	199072.83

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण- महात्मां गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (के.75/रा.25-के.रा.)-42-अन्य व्यय के अन्तर्गत धनराशि रू0 89072.83 लाख की वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवश्यकता न होने के कारण सम्भावित बचत है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) (के.60/रा.40-के.)-24 वृहत् निर्माण कार्य के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त किये जाने के कारण केन्द्रांश की धनराशि रू0 53443.698 लाख एवं मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0 35629.132 लाख कुल धनराशि रू0 89072.83 लाख की अतिरिक्त बजट की अपरिहार्य आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या- आर.ई.- 268 यू.ओ.-ई-2-58/दस-2021 दिनांक-18 जनवरी, 2021

सेवा में

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम

उ0प्र0 इलाहाबाद।

(दिनेश चन्द्र पाण्डेय)
उप सचिव,ग्राम्य विकास विभाग

(नीलेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव वित्त विभाग

http://bhagnadesh.up.gov.in